न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर– तृतीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा

1. प्रकरण संख्या : 12/2018

उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर। प्रार्थी

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र मथुरादास ब्राह्मण निवासी सांभरलेक (फौत)
   1/1 दिलीप दत्तक पुत्र दामोदर शर्मा जोपट
   1/2 हरीकिशन पुत्र श्यामसुन्दर जोपट
   1/3 चांद देवी पत्नी श्याम सुन्दर जोपट
   1/4 मांगीलाल पुत्र भवानी शंकर जोपट
   1/5 शकुन्तला उर्फ चुनी पुत्री भवानीशंकर पत्नी सत्यनारायण ओसोपा
   1/6 रामगोपाल पुत्र भवानी शंकर
   1/7 दुर्गा पुत्री भवानी शंकर जोपट
   1/8 पुष्पा पुत्री भवानी शंकर पत्नी गोपाल जी जोपट
   1/9 कमला देवी पत्नी दामोदर जोपट
2. भैरू पुत्र रामबक्ष कुम्हार (फौत)
   2/1 बरजी पत्नी भैरू कुम्हार
   2/2 गोपाल पुत्र भैरू कुम्हार
   2/3 मदनलाल पुत्र भैरू कुम्हार
   2/4 नाथी पुत्री भैरू पत्नी रामलाल कुमावत
   2/5 लक्ष्मा पुत्री भैरू पत्नी चौथमल
   2/6 गुलाब पुत्री भैरू पत्नी गोपीराम अप्रार्थीगण

2. प्रकरण संख्या : 28/2018

उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

बनाम

प्रार्थी

1. चुन्नीलाल पुत्र गुल्लाराम खटीक (फौत)
   1.1 दल्लू देवी पत्नी चुन्नीलाल खटीक
   1.2 शान्ति देवी पत्नी ग्वाल उर्फ रामावतार खटीक
   1.3 रोहित पुत्र ग्वाल उर्फ रामावतार खटीक, अन्नपूर्णा, जिया, अन्तिमा, शोभा, पुत्रियां ग्वाल उर्फ रामावतार नाबालिक संरक्षक माता शान्ति देवी पत्नी ग्वाल उर्फ रामावतार खटीक समस्त निवासीगण नकाशा मौहल्ला पो0 सांभरलेक जिला जयपुर।
   1.4 दुर्गा पुत्री चुन्नीलाल पत्नी सोहन लाल सांखला खटीक, निवासी शारदा बहन हॉस्पिटल के पास अर्बदा नगर अहमदाबाद।
   1.5 लीला पुत्री चुन्नीलाल पत्नी किशन लाल खटीक, निवासी रामराज नगर, नेशनल हाईव रोड, शिव शक्ति सोसायटी के पास, अहमदाबाद।
   1.6 मन्नी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी हरदेव खींची खटीक, निवासी नांगलोई ज्वारालापुरी नं. 5 दिल्ली।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

2. नाथूलाल पुत्र मथुरादास ब्राहम्ण (फौत)

2.1 दिलीप शर्मा दत्तक पुत्र दामोदर शर्मा, निवासी लक्ष्मण पथ बाल विहार कॉलोनी बाईपास, पुलिया के पास कालवाड रोड झोटवाडा, जयपुर।

2.2 हरिकिशन पुत्र श्याम सुन्दर जोपट, निवासी रजनी विहार कॉलोनी प्लाट न0 412 बाईपास के पास सहेली होटल के पीछे, जयपुर।

2.3 चॉद देवी पत्नी श्याम सुन्दर जोपट, निवासी रजनी विहार कॉलोनी प्लाट नं0 412 बाईपास के पास सहेली होटल के पीछे, जयपुर।

2.4 मांगीलाल पुत्र भंवानीशकर जोपट, निवासी मुरलीपुरा स्कीम, ब्लाक सी मुरलीपुरा सर्किल के पास, जयपुर।

2.5 रामगोपाल पुत्र भंवानीशंकर जोपट, निवासी प्लाट न0 122, चिन्ताहरण हनुमान जी मन्दिर के पास पुलिस थाना, मुरलीपुरा के पीछे जयपुर।

2.6 शकुन्तला पुत्री भवानीशंकर पत्नी सत्यनारायण आसोपा, निवासी 5 ग 32 जवाहर नगर जयपुर।

2.7 दुर्गा पुत्री भवानीशंकर जोपट, निवासी मुरलीपुरा स्कीम, ब्लाक सी मुरलीपुरा सर्किल के पास, जयपुर।

2.8 पुष्पा पुत्री भवानीशंकर पत्नी गोपाल जोपट, निवासी शोपिंग सेन्टर सीमेन्ट के थोक विक्रेता, कोटा।

2.9 कमला देवी पत्नी दामोदर जोपट, निवासी बाल विहार कॉलोनी, बाईपास पुलिया के पास कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर। :–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 03.03.2023

5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।
ब) श्री हरिनारायण चौधरी एवं टी.एन. चतुर्वेदी अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से उपरोक्त दोनों रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय होकर पुनः सुनवाई परीक्षण हेतु प्राप्त हुए है। चूंकि उक्त दोनों प्रकरणों में रेफरेन्स के तथ्य परस्पर सम्बन्धित है एवं इनमें समान कानूनी बिन्दु विद्यमान है। अतः इनका निस्तारण इस आदेश द्वारा किया जाता है, जिसकी प्रति प्रत्येक रेफरेन्स पत्रावली में संलग्न की जावें।

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल. आर. एक्ट के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बरडोठी में मन्दिर श्री नृसिंह जी के नाम से 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 1496 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1499 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1500 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1881 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1882 रकबा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 1883 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2015–2029 की प्रविष्टियों के अनुसार मूर्ति मन्दिर श्री नृसिंह जी वाके देह पुजारी नाथू पुत्र मथुरादास ब्राह्मण की खातेदारी में है। नामान्तरकरण संख्या 80 व 81 दिनांक 09.07.1961 द्वारा

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

आराजी खसरा नम्बर 1496, 1499 व 1500 अप्रार्थी भैरू पुत्र रामबक्ष कुम्हार के पक्ष में व आराजी खसरा नम्बर 1881 से 1883 अप्रार्थीगण नाथूलाल के पिता मथुरादास ब्राह्मण की खातेदारी में अंकित है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार मन्दिर के नाम की भूमि की खातेदारी 19 धारा टीनेन्सी एक्ट, 1955 के अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों को नहीं दी जा सकती है। अन्त में निवेदन किया गया है कि धारा 19 का विचाराधीन नामान्तरकरण अवैध होने से निरस्त योग्य है। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमावें।

न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स के संदर्भ में दिनांक 07.11.84 को निर्णय पारित किया गया, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान के निर्णय दिनांक 26.11.90 द्वारा रेफरेन्स पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि " वे अपने आदेश संख्या 1541–61 दिनांक 05.04.1960 जिसके द्वारा अप्रार्थीगण को अन्तर्गत धारा 19, अधिनियम 1955 खातेदारी अधिकार प्रदान करना बताया गया है व विवादित आराजी से सम्बन्धित जमाबन्दी सम्वत् 2009, पुजारी रामनिवास द्वारा उक्त आराजी के सम्बन्ध में छुटकारा लिखने सम्बन्धित पत्रावली एवं अन्य सभी सम्बन्धित प्रलेखों का परीक्षण कर एवं अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान कर यदि समुचित आधार हो तो मण्डल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अन्तर्गत अधीक्षण एवं नियंत्रण की शक्तियों के प्रयोग हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं सभी आवश्यक अभिलेखों सहित प्रषित करें।" उक्त निर्णय की अनुपालना में रेफरेन्स न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर में पुनः दर्ज किया गया तथा अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1496 रकबा 11 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1499 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 1500 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 1881 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 1882 रकबा 3 बिस्वा गै0मु0 झेरा, खसरा नम्बर 1883 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा चाही सोयम वाके ग्राम बरडोठी तहसील फुलेरा जिला जयपुर है तथा पूर्व में खसरा नम्बर माफी मन्दिर नृसिंहजी वाके देह पुजारी नाथू पुत्र मथुरादास जाति ब्राह्मण निवासी सांभर के नाम इन्द्राज था। दिनांक 20.06.60 रामनिवास जोपट पुजारी ब्राह्मण ने इन उपरोक्त नम्बरान को तहसीलदार तहसील फुलेरा को सरेन्डर कर दिया और उसके पश्चात तारीख पेशी 26.03.62 को इस आशय की नियुक्ति की कि इन नम्बरान को सिवायचक घोषित कर दिया जावे। इसके पश्चात उपरोक्त आराजीयात नियमानुसार सिवायचक घोषित कर दी गई और ये नम्बरान माफी मन्दिर में शुमार नही किये जाकर सिवायचक घोषित कर दिये गये। आज्ञानुसार सिवायचक नम्बरान को रा0टी0 एक्ट 1953 की धारा 19 के अन्तर्गत आ0 ख0न0 1881, 1882, 1883 गुल्ला पिता गणेश खटीक के हक में नामान्तरकरण संख्या 80 व 81 वाके बरडोठी खोला जाकर दिनांक 09.07.61 को उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया तथा बाकी आ0 ख0 न0 1496, 1499, 1500 का नामान्तरकरण भैरू गैरसायलान के हक में नामान्तरकरण तस्दीक करा दिया गया। गैर0 नाथूलाल व चुन्नीलाल, गुल्ला खटीक के लडके है तथा भैरू कुम्हार स्वंय है। जब से इनके हक में नामान्तरकरण खोला गया है तब से खातेदार काश्तकार है तथा इनका कब्जा व काश्त 2012 से पहले से ही चला आ रहा है और कानूनन खातेदार काश्तकार है। गैरसायलान के हक में नामान्तरकरण जिलाधीश जयपुर की आज्ञा से खोला गया है। अतः कानूनन नामान्तरकरण व खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती। जिलाधीश जयपुर के आदेश द्वारा अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण खुला है तब से ही उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगणों का कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसमें दो कुंए है, जिसे वे सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं और अप्रार्थीगण का जीवनयापन का एकमात्र सहारा उक्त आराजीयात है। जब तक कानूनन कलक्टर के आदेश को चैलेंज नही किया जाता तब तक रेफरेन्स की कार्यवाही कानूनन नही की जा सकती। मंदिर ठिकाना से उक्त आराजीयात को सरेण्डर कर दिया और सरेण्डर होने के बाद में उक्त आराजीयात को सिवायचक घोषित कर दिया तो सिवायचक भूमि को अलाटमेंट करने का कलेक्टर को पावर था, और उसी पावर के आधार पर अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण व राजस्व

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

रिकार्ड में इन्द्राज हुआ। उक्त आराजीयात पर कलेक्टर के आदेश से मन्दिर या मन्दिरों का कोई पुजारी का कब्जा नही रहा है और न ही पूर्व में था। ठा0 श्री नृसिंहजी की ओर से आज तक कोई भी व्यक्ति पुजारी या मैनेजर पैरवी के लिये नहीं आया है। इसके अलावा ये आराजीयात सिवायचक दर्ज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण व खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती। पूर्व में यही केस नम्बर 56/85 राजस्व मण्डल अजमेर में नामान्तरकरण खातेदारी निरस्त करने के लिये रेफरेन्स कर दिया गया था किन्तु वापिस रिमाण्ड कर दिया गया है। बार्ड अपेक्स ऑफ टाईम काश्कारन को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः नामान्तरकरण व खातेदारी यथावत रखे जाने की आज्ञा फरमावें।

तहसीलदार फुलेरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक द्वारा प्रेषित पत्रांक 2586 दिनांक 21.04.2010 में अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1496 रकबा 0.11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1499 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1500 रकबा 0.04 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2.18 बीघा भूमि मुताबिक सेटलमेन्ट खतौनी के अनुसार माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी वाके देह पुजारी नाथू पुत्र मथुरादास जाति ब्राह्मण के नाम इन्द्राज थी। उक्त भूमि पुजारी द्वारा छुटकारा लिखने पर कब्जाधारी काश्तकार को जिलाधीश जयपुर द्वारा धारा 19 का आदेश देने पर भैरू पुत्र रामबक्ष कुम्हार के हक में खसरा नम्बर 1496, 1499 एवं 1500 की खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 80 व 81 द्वारा दी गई। उक्त भूमि सेटलमेन्ट में माफी मन्दिर होने से राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प2/4/राज01/14/90137 जयपुर दिनांक 13.12.91 उप शासन सचिव एवं जिलाधीश जयपुर के आदेश राजस्व/91/3710–53 दिनांक 01.01.1992 की पालना में पुनः माफी मन्दिर मूर्ति का नोट लगाकर जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि विवादित भूमि मुताबिक सेटलमेन्ट खतौनी के अनुसार माफी मन्दिर श्री नृसिंहजी वाके देह पुजारी नाथू पुत्र मथुरादास जाति ब्राह्मण के नाम इन्द्राज थी। उक्त भूमि पुजारी द्वारा छुटकारा लिखने पर कब्जाधारी काश्तकार को जिलाधीश जयपुर द्वारा धारा 19 का आदेश देने पर भैरू पुत्र रामबक्ष कुम्हार के हक में खसरा नम्बर 1496, 1499 एवं 1500 की खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 80 व 81 द्वारा दी गई। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.91 उप शासन सचिव एवं जिलाधीश जयपुर के आदेश 3710–53 दिनांक 01.01.1992 की पालना में पुनः माफी मन्दिर मूर्ति का नोट लगाकर जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया। विवादित आराजीयात मूर्ति मन्दिर श्री नृसिंहजी, जो शाश्वत अव्यस्क है, जिसकी खातेदारी होने के कारण उक्त आराजी के संबंध में किसी व्यक्ति को धारा 19 अधिनियम 1955 द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि पूर्व में खसरा नम्बर माफी मन्दिर नृसिंहजी वाके देह पुजारी नाथू पुत्र मथुरादास निवासी सांभर के नाम इन्द्राज था। दिनांक 20.06.60 रामनिवास जोपट पुजारी ब्राह्मण ने इन उपरोक्त नम्बरान को तहसीलदार तहसील फुलेरा को सरेन्डर कर दिया और उसके पश्चात तारीख पेशी 26.03.62 को इन नम्बरान को सिवायचक घोषित कर दिया। उक्त को रा0टी0 एक्ट 1953 की धारा 19 के अन्तर्गत आ0 ख0न0 1881, 1882, 1883 गुल्ला पिता गणेश खटीक के हक में नामान्तरकरण संख्या 80 व 81 वाके बरडोठी खोला जाकर दिनांक 09.07.61 को उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया तथा बाकी आ0 ख0 न0 1496, 1499, 1500 का नामान्तरकरण भैरू गैरसायलान के हक में नामान्तरकरण तस्दीक करा दिया गया। गैरसायलान के हक में नामान्तरकरण जिलाधीश जयपुर की आज्ञा से खोला गया है। कानूनन नामान्तरकरण व खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती। नामान्तरकरण संख्या 80 व 81 जिला कलक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक 1541–61 दिनांक 05.04.60 अन्तर्गत धारा 19 अधिनियम 1955 की अनुपालना में उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। ठा0 श्री नृसिंहजी की ओर से आज. तक कोई भी व्यक्ति पुजारी या मैनेजर पैरवी के लिये नहीं आया है। इसके अलावा ये आराजीयात सिवायचक दर्ज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण व खातेदारी निरस्त नहीं की

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

जा सकती। पूर्व में यही केस नम्बर 56/85 राजस्व मण्डल अजमेर में नामान्तरकरण खातेदारी निरस्त करने के लिये रेफरेन्स कर दिया गया था किन्तु वापिस रिमाण्ड कर दिया गया है। अतः नामान्तरकरण व खातेदारी यथावत रखे जाने की आज्ञा फरमावें।

हम प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा के प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों, बहस पैरोकार सरकार, अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, बहस, पूर्व निर्णय एवं राजस्व मण्डल के निर्णय का अवलोकन मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1496 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1499 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1500 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1881 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1882 रकबा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 1883 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा प्रथम सेटलमेन्ट मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–29 में मंदिर श्री नृसिंह जी वाके देह पुजारी नाथू पुत्र मथुरादास जाति ब्राह्मण साकिन सांभर दर्ज थी, मन्दिर श्री नृसिंहजी मूर्ति जो देवता की माफी भूमि है, जिसके अनुसार देवमूर्ति एक सनातन–अवयस्क है। अतः उसकी भूमि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जोती जाने पर भी वैयक्तिक रूप से जोती गई भूमि मानी जावेगी तथा कोई व्यक्ति एक उप अभिधारी देवमूर्ति की भूमि पर कोई अधिकार धारा 15 या 19 के अधीन प्राप्त नहीं कर सकता, क्योकि वह एक शाश्वत–अवयस्क का उप अभिधारी है। अतः माफी मन्दिर की भूमि के खातेदारी अधिकार काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के अनुसार किसी व्यक्ति को नहीं दिये जा सकते हैं अर्थात आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित हैं। साथ ही प्रथम सेटलमेन्ट में भूमि माफी मन्दिर की पुष्ट होने के कारण पुजारी को मन्दिर की भूमि समर्पित करने का अधिकारी नहीं होने के कारण सिवायचक दर्ज नहीं की जा सकती तथा मन्दिर की भूमि को आवंटित भी नहीं की जा सकती है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है, जिससे भूमि माफी मन्दिर की ना होकर खातेदारी सिद्ध होती हो। जहाँ तक जिला कलक्टर जयपुर द्वारा भूमि को सिवायचक करने के आदेश की सुनवाई का प्रश्न है, मातहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय भी जिला कलक्टर द्वारा आवंटित प्रकरणों की ही सुनवाई करता है अर्थात दोनों न्यायालय एक समान ही हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाते हैं। अतः तहसीलदार फुलेरा को निर्देश दिये जाते है कि 3 महीने में माननीय राजस्व मण्डल में नियमानुसार रेफरेन्स दर्ज करवाना सुनिश्चित कर समुचित पैरवी करें और तब तक विवादित भूमि की रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति को यथावत बरकरार रखें। यह तहसीलदार फुलेरा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03-03-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जयपुर।